न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा,

जिला जोधपुर केम्प कोर्ट हरियाड़ा

पीठासीन अधिकारीः– भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 26 / 2020

प्रार्थीगण **बनाम** **अप्रार्थीगण**

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
1. पेमाराम पुत्र भीकाराम	1. अणदाराम पुत्र आसुराम
2. देवाराम पुत्र भीकाराम जातियान गुर्जर निवासीगण खुटलिया, तहसील बिलाड़ा	2. शिवलाल पुत्र आसुराम
3. विनोद पुत्र भंवरलाल उम्र 13 वर्ष	3. मांगीलाल पुत्र हरीराम
4. प्रकाश पुत्र भंवरलाल उम्र 17 वर्ष	4. लाबूराम पुत्र मोटाराम
5. नर्बदा पुत्री भंवरलाल उम्र 11 वर्ष अप्रार्थी संख्या 3 से 5 जरिये नाबालिग कुदरती वली माता श्रीमती गवरी पत्नी भंवरलाल	5. अमृतलाल पुत्र सांवलराम
6. श्रीमती गवरी पत्नी भंवरलाल	6. पन्नालाल पुत्र सांवलराम
7. श्रीमती धनकी पत्नी भीकाराम जातियान गुर्जर निवासीगण खुटलिया तहसील बिलाड़ा	7. मिश्रीलाल पुत्र सांवलराम जातियान गुर्जर निवासीगण खुटलियां तहसील बिलाड़ा
8. श्रीमती सुगना पुत्री भीकाराम पत्नी त्रिलोकराम जाति गुर्जर निवासी मालपुरिया खुर्द तहसील सोजत सिटी जिला पाली	8. श्रीमती नाथी पुत्री सांवलराम पत्नी मानाराम निवासी जैतीवास, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
9. श्रीमती रूकमा पुत्री भीकाराम पत्नी तेजाराम जाति गुर्जर निवासी जोगडावास तहसील सोजत सिटी जिला पाली	9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

सहायक कलक्टर उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः– प्रार्थीगण की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता
अप्रार्थी संख्या–1 से 8 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही
अप्रार्थी संख्या–9 की ओर से सरकारी पेरोकार

आदेश **दिनांकः–06.12.2021**

सहायक कलक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खुटलिया तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 308 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 316 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 454 रकबा 19 बीघा 19 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 35 बीघा 08 बिस्वा स्थित है। यह भूमि सेटलमेन्ट के समय हरीराम, मोटाराम, आसूराम, भीकाराम पिसरान भालाराम जातियान गुर्जर निवासीगण खुटलिया तहसील बिलाडा की खातेदारी की थी। जो खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2030, जमाबन्दी संवत् 2017 से 2020 से स्पष्ट है। खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2030, जमाबन्दी संवत् 2017 से 2020 वास्ते सबूत साथ में पेश है।

इसी प्रकार ग्राम खुटलिया तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 351 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 352 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 354 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 353 रकबा 6 बिस्वा कुल खसरा 4 कुल रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा स्थित है। यह भूमि सेटलमेन्ट के समय हरीराम, मोटाराम, आसूराम, भीकाराम पिसरान भालाराम जातियान गुर्जर निवासीगण खुटलिया तहसील बिलाड़ा का 1/2 हिस्सा तथा धीसाराम पुत्र नाराराम जाति गुर्जर निवासी खुटलिया तहसील बिलाड़ा का 1/2 हिस्सा की खातेदारी की थी। जो खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2030, जमाबन्दी संवत् 2011 से 2014, जमाबन्दी संवत् 2017 से 2020 से स्पष्ट है। खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2030, जमाबन्दी संवत् 2011 से 2014, जमाबन्दी संवत् 2017 से 2020 वास्ते सबूत साथ में पेश है। उपरोक्त सजरा खानदान के अनुसार भीकाराम पुत्र भालाराम का देहान्त दिनांक 20.05.2003 में हो गया, उनके देहान्त के बाद उनके तीन पुत्र पेमाराम, देवाराम, भंवरलाल तथा दो पुत्रिया सुगना, रुकमा एवं पत्नी धनकी प्रथम श्रेणी के वारिशान है, जिनमें से भंवरलाल का देहान्त दिनांक 25.04.2016 को हो चुका है। भंवरलाल के उतराधिकारी उनके दो पुत्र विनोद, प्रकाश तथा पुत्री नर्बदा एवं पत्नी गवरी है। इनके अलावा अन्य कोई प्रथम श्रेणी के वारिशान नही है। पद संख्या 1 में वर्णित भूमि में भीकाराम का 1/4 हिस्सा तथा पद संख्या 2 में वर्णित भूमि में भीकाराम का 1/8 वॉ हिस्सा है। प्रार्थीगण ने पिछले माह अफवाह सुनी कि उनके पिता व दादा एवं ससुर भीकाराम की खातेदारी की उपरोक्त भूमि को राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी से हटा दिया गया है तो प्रार्थीगण ने दिनांक 15.06.2020 को पटवारी हल्का से भूमि खसरा नम्बर 308, 316, 454, 351, 352, 354, 353 के राजस्व रेकर्ड के बारे में जानकारी चाही तो हल्का पटवारी ने राजस्व रेकर्ड देखकर बताया कि जमाबन्दी में आपका नाम दर्ज नही है और कहा कि आप न्यायालय से शुद्धी करवाओ तब

सहायक कलक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

आपका नाम रेकर्ड में दर्ज किया जायेगा। जिस पर प्रार्थीगण दिनांक 17.06.2020 को जोधपुर गये और अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया और दिनांक 17.06.2020 को भूमि खसरा नम्बर 308, 316, 454, 351, 352, 354, 353 की खतौनी बदोबस्त, जमाबन्दी आदि की प्रमाणित नकल प्राप्त करने हेतु जिला कलक्टर (भू अभिलेखागार) जोधपुर के कार्यालय में नकल आवेदन पत्र पेश किया, जिस पर दिनांक 22.06.2020 को भूमि खसरा नम्बर 308, 316, 454, 351, 352, 354, 353 की खतौनी बंदोबस्त व जमाबन्दी संवत् 2011 से 2014, जमाबन्दी संवत् 2017 से 2020, जमाबन्दी संवत् 2022 से 2025 की प्रमाणित प्रतिलिपि को प्राप्त किया तो प्रार्थीगण को मालूम हुआ कि भूमि खसरा नम्बर 308, 316, 454, 351, 352, 354, 353 में प्रार्थीगण के पिता, दादा एवं ससुर भीकाराम पुत्र भालाराम का नाम खातेदारी से हटा दिया गया है।

पद संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 308 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 316 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 454 रकबा 19 बीघा 19 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 35 बीघा 08 बिस्वा की खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2030 को देखने से मालूम पड़ता है कि उसमें भीकाराम पुत्र भालाराम खातेदार के रूप में इन्द्राज है। उसके बाद आगे की जमाबन्दी संवत् 2011 से 2014 में भीकाराम पुत्र भालाराम का नाम हटा दिया गया तथा उसके बाद आगे की जमाबन्दी संवत् 2017 से 2020 में भीकाराम पुत्र भालाराम खातेदार के रूप में इन्द्राज किया हुआ है तथा उसके आगे की जमाबन्दी संवत् 2022 से 2025 को देखने से मालूम पडता है कि उसमें पटवारी हल्का द्वारा बीना कोई आधार से भीकाराम पुत्र भालाराम का नाम जमाबंदी से हटा दिया गया। पद संख्या 2 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 351 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 352 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 354 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 353 रकबा 6 बिस्वा कुल खसरा 4 कुल रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा की खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2030 को देखने से मालूम पड़ता है कि उसमें भीकाराम पुत्र भालाराम खातेदार के रूप में इन्द्राज है। उसके बाद आगे की जमाबन्दी संवत् 2011 से 2014, जमाबन्दी संवत् 2017 से 2020 में भीकाराम पुत्र भालाराम का नाम खातेदार के रूप में इन्द्राज है। उसके बाद आगे की जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 को देखने से मालूम पडता है कि उसमें पटवारी हल्का द्वारा बीना कोई आधार से भीकाराम पुत्र भालाराम का नाम जमाबन्दी से हटा दिया गया है। भीकाराम पुत्र भालाराम का देहान्त दिनांक 20.05.2003 में हो चुका है। भीकाराम के तीन पुत्र पेमाराम, देवाराम, भंवरलाल तथा दो पुत्रिया सुगना, रूकमा व पत्नी धनकी है। जिनमें से भंवरलाल का देहान्त दिनांक 25.04.2016 हो

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

से 2020 में भीकाराम पुत्र भालाराम खातेदार के रूप में इन्द्राज है लेकिन उसके आगे की जमाबंदी संवत 2022 से 2025 में भीकाराम पुत्र भालाराम का नाम जमाबंदी से हटा दिया गया। इसी प्रकार ग्राम खुंटलिया तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 351, 352, 353, 354 सेटलमेंट के समय हरीराम, मोटाराम, आसुराम, भीकाराम पिसराम भालाराम जातियान निवासीगण खुंटलिया तहसील बिलाड़ा की 1/2 हिस्से की खातेदारी की थी। उक्त भूमि आगे की जमाबंदी संवत 2017 से 2020 में भीकाराम पुत्र भालाराम खातेदार के रूप में इन्द्राज है लेकिन उसके आगे की जमाबंदी संवत 2022 से 2025 में भीकाराम पुत्र भालाराम का नाम जमाबंदी से हटा दिया गया। इस प्रकार पद संख्या–1 व 2 में वर्णित भूमि की जमाबंदी संवत 2022 से 2025 में भीकाराम पुत्र भालाराम का नाम दर्ज नहीं करना एक लिपिकीय त्रुटी मालूम पड़ती है। राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन केवल म्युटेशन के आधार पर ही किया जा सकता है। एवं म्यूटेशन किसी न्यायालय का निर्णय, डिक्री, आदेश, बैचान, हस्तान्तरण के आधार पर ग्राम पंचायत या तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया जाता है। मौजूदा मामले में प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2022 से 2025 में किसी खातेदार का नाम हटाने का कोई निर्णय या आदेश नहीं है। अतः बिना आधार एवं अनाधिकृत तौर से किये गये जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 की राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम खुटलिया तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 308 रकबा 10 बीघा 03 बिस्वा (1.6423 हैक्टेयर), खसरा नम्बर 316 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा (0.8575 हैक्टेयर) खसरा नम्बर 454 रकबा 19 बीघा 19 बिस्वा (3.2279 हैक्टेयर) कुल खसरा 3 कुल रकबा 35 बीघा 08 बिस्वा (5.7277 हैक्टेयर) की जमाबन्दी संवत् 2022 से 2025 की दुरूस्ती की जाकर उपरोक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में मृतक खातेदार भीकाराम के विधिक वारिसान को सुनवाई का अवसर देकर भीकाराम का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है इसी प्रकार ग्राम खुटलिया तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 351 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा (0.7686 हैक्टेयर), खसरा नम्बर 352 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा (1.0436 हैक्टेयर), खसरा नम्बर 354 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा (1.1569 हैक्टेयर), खसरा नम्बर 353 रकबा 6 बिस्वा (0.0485 हैक्टेयर)

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

कुल खसरा 4 कुल रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा (3.0176 हैक्टेयर) की जमाबन्दी संवत् 2022 से 2025 की दुरूस्ती की जाकर उपरोक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में मृतक खातेदार भीकाराम के विधिक वारिसान को सुनवाई का अवसर देकर भीकाराम का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 06.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा